



## आदेश पत्रक

न्यायालय : नायब तहसीलदार, बिजनौर (पी-2)  
मण्डल : लखनऊ, जनपद : लखनऊ, तहसील : सरोजनीनगर  
वाद संख्या :- 30138/2025  
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202510460530138  
शीशांक श्रीवास्तव बनाम विवेक तांगडी  
अंतर्गत धारा:- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

वाद सं०—

ग्राम—भागू खेडा

प्रस्तुत वाद लेखपाल की नामांतरण प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भ किया उसमें बैनामा दिनांक 08.08.2025 के आधार पर प्रस्तुत हुयी। वाद को दर्ज मिसिलबंद कर नियमानुसार इशतहार जारी किया गया, जो तामिल शामिल, पत्रावली है। दौरान मुकदमा कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुयी। वादी ने अपने कथन की पुष्टि में अभिलेखयी/मौखिक साक्ष्य में पंजीकृत विक्रय पत्र, इन्तखाब खतौनी व साढ़े बारह एकड़ से अधिक भूमि न होने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है एवं क्षेत्रीय लेखपाल के बयान अंकित कराये। लिखित साक्ष्य में क्षेत्रीय लेखपाल का बयान संलग्न पत्रावली है। विक्रेता कम्पनी है। यह विक्रय विलेख उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 88, 89, 90, 97, 98, 99 के प्राविधानों के प्रतिकूल नहीं है। अतः उक्त वाद निर्विवाद होने के कारण नामांतरण आदेश पारित करने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्नवत आदेश पारित किया जाता है।

### आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम भागू खेडा, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ की खतौनी 1425 से 1430 फसली के खाता संख्या 00256 की गाटा संख्या 556ब रकबा 0.7590 हे० का 1/3 भाग यानि रकबा 0.2530 हे० मा०गु० 60ख से विक्रेता सोम पुष्प ट्रेडर्स एंड इन्फ्रा डेवलपर्स के द्वारा विवेक तांगडी पुत्र श्री सोमनाथ तांगडी निवासी 1/45 विशेष खण्ड गोमती नगर लखनऊ उ०प्र० का नाम निरस्त करके क्रेता ट्रूस्केप रियल्टी द्वारा पार्टनर शशांक श्रीवास्तव पुत्र श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव पंजीकृत कार्यालय-11/12 सेक्टर 11 वृन्दावन कॉलोनी लखनऊ का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर द्वारा बैनामा दिनांक 08.08.2025 अंकित किया जाये। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक : 08/11/25

नायब तहसीलदार

बिजनौर पी 2

सरोजनी नगर लखनऊ